

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक 08 SEP 2023


आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023), आदेश दिनांक 17-6-2023, 6-7-2023, 27-7-2023 तथा 25-8-2023।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 30-9-2023 तक बढ़ाई जाती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(रिहित गुप्ता)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय  
बीकानेर

क्रमांक: एफ 4(1-आर)( )/एसकेराकृवि/सी/2023/608

दिनांक: 11.09.2023

12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- 1 समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/डी.डी.ओ.....
- 2 कुलसचिव, एसकेराकृवि, बीकानेर
- 3 कोषाधिकारी, एसकेराकृवि/अनुभाग अधिकारी, पेंशन
- 4 निजी सचिव कुलपति महोदय, एसकेराकृवि
- 5 रक्षित पत्रावली

उपरोक्त अधिकारी सिमका के कि.वि. पोस्टाईपर अपलोड करने हेतु

  
वित्त नियंत्रक